राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 82 / 2025

जीसीएमएस संख्याः 2025 / 178

निर्णय दिनांकः 26.09.2025

दायर दिनांकः 11.06.2025

1. भंवरूदीन पुत्र धुडोजी लिलगर जाति लिलगर निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री निरंजन सोनी।
2. प्रतिवादी पैरोकार राज।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रोही ग्राम भोजलाई पटवारी हल्का देवाणी में खाता संख्या नया 350 खसरा संख्या 969 / 159 वादी के खातेदारी में दर्ज स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम भंवरूदीन पुत्र मांगुदीन दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम भंवरूदीन पुत्र धूडोजी लिलघर है। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम भंवरूदीन पुत्र धूडोजी लिलघर अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादी का खेत रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दस्तोवजों वादी के दस्तावेजों में नाम भंवरूदीन पुत्र

श्रीमती ममता सोनी, एडवोकेट

मांगुदीन दर्ज है। वादी भंवरूदीन के पिता मांगूदीन व धूड़ोजी दोनों एक ही व्यक्ति है अलग अलग नहीं है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भंवरूदीन पुत्र मांगुदीन की बजाय भंवरूदीन पुत्र धूडोजी दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, कार्ड में वादी का नाम भंवरूदीन पुत्र धुडोजी लिलघर अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या नया 350 के खसरा संख्या 969/159 तादादी 1.6312 है0 में दर्ज खातेदार का नाम भंवरूदीन पुत्र माँगूदीन के स्थान पर भंवरूदीन पुत्र धूडोजी दर्ज किया जावे। अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

भंवरूदीन बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक, कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड एवं कृषि विभाजन

मुकदमा न0 82 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....हाजरी श्री निरंजन सोनी एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या नया 350 के खसरा संख्या 969/159 तादादी 1.6312 है0 में दर्ज खातेदार का नाम भंवरूदीन पुत्र माँगूदीन के स्थान पर भंवरूदीन पुत्र धूडोजी दर्ज किया जावे। अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत .... फीसदी

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 **माह 09 2025**

दस्तखत................................

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।